केस स्टडी- 4 (नवंबर-2023)

जारी तिथि : 21.11.23

SPAD

घटनाक्रम:- दिनांक 20.11.23 को मध्य रेल के नागपुर मण्डल में ट्रेन क्रमांक 12913 लोको नं. 37575 AQ, सेक्शन: भरतवाड़ा-गोधनी, लोड: 23 बोगी, BPC:100% से भोपाल मण्डल के कर्मीदल द्वारा कार्य करते समय गोधनी होम सिग्नल (S-2) को ऑन स्थिति में पार किया। लोको पायलट के कथनानुसार उन्हें गेट डिस्टेंट सिग्नल दो पीला, इनर गेट डिस्टेंट सिग्नल एक पीला मिला परंतु इनर गेट डिस्टेंट सिग्नल के पास पहुँचते ही सिग्नल दो पीला हो गया और गेट सिग्नल लाल संकेत से एक पीला हो गया। लोको पायलट ने गेट सिग्नल एक पीला में पार किया पर उसने समझ लिया कि वह होम सिग्नल को एक पीला की स्थिति में पार किया है और उसे गोधनी स्टार्टर सिग्नल पर रुकना है। परंतु जैसे ही गाड़ी कर्वेचर को पार की, लोको पायलट को होम सिग्नल लाल दिखा, उसने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाया, परंतु गाड़ी होम सिग्नल को ऑन स्थिति में 18 Kmph की गति से पास करके लगभग 18 मिटर बाद जाकर गाड़ी खड़ी हुई। (समय: सुबह 7.42 बजे, होम सिग्नल की दृश्यता दूरी 540 मिटर है तथा 1.25 डिग्री कर्व है)

संभावित कारण :-

- ❖ कर्मीदल द्वारा गेट सिग्नल को ही होम सिग्नल समझ लेना और होम सिग्नल के संकेत को देखने में विफल रहना।
- ❖ कर्मीदल को सिगनल लोकेशन (DN ग्रेडिएंट/ कर्वेचर) की सही/उचित जानकारी का न होना I
- ❖ लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट द्वारा स्टेशन/लाइन/सिग्नल नंबर के साथ हाथ के इशारे से सिग्नल को ज़ोर से न पुकारना।
- ❖ लोको पायलट के द्वारा सिगनल संकेत के अनुसार गाड़ी को नियंत्रित न करना।

उपरोक्त घटना से सबक:-

- ✓ रोड लर्निंग सही तरीके से लें व अपनी लाइन के सिग्नलो के लोकेशन के प्रति जागरूक रहें I
- ✓ लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट स्टेशन/लाइन/सिग्नल नंबर के साथ हाथ के इशारे से सिग्नल को ज़ोर से पुकारें।
- ✓ ALP सिग्नल संकेतो को कॉल आउट करते समय सुनिश्चित करें कि LP द्वारा भी सिग्नल संकेतो की पुनरावृति की जा रही है।
- ✓ एक पीला सिग्नल पार करने के बाद, ALP ने LP को याद दिलाना चाहिए कि आगे सिग्नल लाल है।
- ✓ सहायक लोको पायलट खतरे की स्थिति भांपकर, बिना झिझके RS खोलें। सिग्नल के लाल संकेत होने पर ALP "फॉर पॉइंट एजेंडा" का कड़ाई से पालन करें।

(पवन कुमार जयंत)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।